[2021] 1 एस.सी.आर 1043

फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

केतुलभाई रामूभाई पटेल

(सिविल अपील संख्या 5146/2019)

फरवरी 03, 2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता सहिंता–धारा 5 (7), 5 (8), 3 और 60 अनुबंध अधिनियम, 1872–धारा 124 , 126 और 172–एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने वित्तीय सुविधा को 'डी' तक बढ़ा दिया–'डी' (उधारकर्ता) और एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (ऋणदाता)–ऋणदाता के बीच एक सुविधा समझौता निष्पादित किया गया था। उधारकर्ता रु 40 करोड़ 'DV' (कॉर्पोरेट देनदार) को दिया गया अग्रिम बैंक ने यू/दायर की याचिका निगम की शुरुआत करने के लिए संहिता की धारा 7 'डी. वी.' (निगमित देनदार) के संबंध में समाधान प्रक्रिया–निगमित देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसार, अपीलार्थी ने Rs.83,49,85,667/– की राशि के लिए अपना दावा प्रतिवादी के साथ दायर किया, अंतरिम समाधान पेशेवर–प्रतिवादी ने राय दी कि कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व शेयरों की गिरवी रखने तक सीमित था–अपीलार्थी ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आवेदन दायर किया कि निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में अपीलार्थी की स्थिति एस के आलोक में साबित नहीं होती है। 5 (8) संहिता–एन. सी. एल. ए. टी. ने खारिज किया अपीलार्थी द्वारा दायर अपील–अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे व्यक्ति के अपने चूक के मामले में वादे को पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध है–वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां कॉर्पोरेट देनदार ने एक अनुबंध में प्रवेश किया है वचन का पालन करें, या ऋणकर्ता के चूक के मामले में उसके दायित्व का निर्वहन करें–प्रतिज्ञा समझौता 40,160 गिरवी रखने तक सीमित है। प्रतिभूति के रूप में शेयर–कॉर्पोरेट देनदार ने कभी भी उधारकर्ता के दायित्व का निर्वहन करने का वादा नहीं किया है–यह उधारकर्ता था जिसके पास था सुविधा समझौते में Rs.40 करोड़ के ऋण को चुकाने का वादा किया गया था और यह उधारकर्ता था जिसने ऋणदाता के प्रति दायित्व का निर्वहन करने का बीड़ा उठाया था–अपीलकर्ता प्रतिभूति से ऊपर एक सुरक्षित देनदार होगा, लेकिन एस के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार नहीं होगा। 5 उप–धारा (7) और (8)–अपीलकर्ता निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार नहीं है–समाधान पेशेवर के निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया गया: 1. क्या निगमित देनदार पर अपीलार्थी का कोई वित्तीय ऋण बकाया है ताकि अपीलार्थी को वित्तीय माना जा सके।

लेनदार वह प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना है। 2016 की संहिता की धारा 5 (8) में निहित 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा में 'मतलब' और 'शामिल' शब्द शामिल हैं। परिभाषा "वित्तीय ऋण" शब्दों से शुरू होती है जिसका अर्थ है "ब्याज के साथ एक ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है और इसमें शामिल है"। परिभाषा का मुख्य भाग, इस प्रकार, प्रदान करता है कि वित्तीय ऋण का अर्थ है एक ऋण "जो है धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया गया। दूसरे भाग की परिभाषा में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो इसमें वित्तीय ऋण भी शामिल है। अपीलार्थी ने अपनी प्रस्तुति में अपने दावे का समर्थन करने के लिए धारा 5 (8) (i) पर भरोसा किया है कि अपीलार्थी वित्तीय लेनदार है। [पैरा 21] [1054–ई–जी]

2. परिभाषा से यह स्पष्ट है कि गारंटी का अनुबंध (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126) किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने का अनुबंध है। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां निगमित देनदार ने वादे को पूरा करने के लिए अनुबंध किया है, या अपने चूक के मामले में उधारकर्ता के दायित्व का निर्वहन किया है। प्रतिज्ञा समझौता प्रतिभूति के रूप में 40,160 शेयरों को गिरवी रखने तक सीमित है। निगमित देनदार ने कभी भी उधारकर्ता के दायित्व का निर्वहन करने का वादा नहीं किया है। सुविधा समझौता जिसके तहत उधारकर्ता नियमों और शर्तों से बंधा था और जिसमें प्रदर्शन के लिए ऋण प्रतिभूति का भुगतान करने का उसका दायित्व शामिल था, सभी सुविधा समझौते में निहित हैं। गारंटी के अनुबंध में "फीनिक्स आर्क प्राइवेट के वादे को पूरा करने या उसे पूरा करने" की गारंटी होती है।

दायित्व ", किसी तीसरे व्यक्ति का। दोनों अभिव्यक्तियाँ "वचन का पालन करें" या "दायित्व का निर्वहन करें" "किसी तीसरे व्यक्ति" से संबंधित हैं। 10.01.2012 दिनांकित प्रतिज्ञा समझौते में कोई शामिल नहीं है। यह अनुबंध कि उधारकर्ता द्वारा दिनांकित सुविधा समझौते में Rs.40 करोड़ के ऋण के दायित्व का निर्वहन करने का जो वादा किया गया था, वह कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया गया है। यह उधारकर्ता था जिसने दिनांकित सुविधा समझौते में 12.05.2011 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाने का वादा किया था और यह उधारकता था जिसने ऋणदाता के प्रति दायित्व का निर्वहन करने का बीड़ा उठाया था। 10.01.2012 दिनांकित प्रतिज्ञा समझौते में कोई अनुबंध नहीं है जिसे कॉर्पोरेट देनदार ने वादे को पूरा करने या तीसरे व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए अनुबंध किया है। प्रतिज्ञा समझौता केवल जी. ई. एल. के 40,160 शेयरों की गिरवी रखने तक सीमित है। इस न्यायालय ने ऊपर ध्यान दिया है कि सुविधा समझौते में एक प्रतिभूति है अनुसूची IV के माध्यम से सृजन जिसमें जी. ई. एल. के 100% इक्विटी शेयरों को उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखा गया था और जी. ई. एल. की सभी वर्तमान परिसंपत्तियों पर दूसरा समान शुल्क भी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बनाया गया था। यह पता चलता है कि जी. ई. एल. के कुछ शेयर कॉर्पोरेट देनदार के पास भी थे जो 'डी' की सहायक कंपनी है। उसी को ऋणदाता के साथ अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में भी गिरवी रखा गया था बाद का समझौता दिनांक 10.01.2012। [पैरा 23] [1055–ई–एच; 1056–ए–सी]

5. स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ और पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. भारत संघ का आयोजन कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति ब्याज रखने वाला व्यक्ति, भले ही निगमित देनदार द्वारा दी गई संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार

पर 'सुरक्षित लेनदार' के विवरण के भीतर आता हो, धारा 5 की उप–धारा (7) और (8) में निहित परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय लेनदारों द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है, वह पूरी तरह से आकर्षित करता है वर्तमान मामला जहाँ निगमित देनदार ने केवल एक अवधि बढ़ाई है जी. ई. एल. के 40,160 शेयरों को गिरवी रखकर प्रतिभूति। अपीलार्थी प्रतिभूति से ऊपर सुरक्षित ऋणी होगा लेकिन धारा 5 की उप–धारा (7) और (8) के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार नहीं होगा। [पैरा 30] [1062–ए–सी] [2021] 1 एस. सी. आर.

6. अपीलीय न्यायाधिकरण ने धारा 5 (8) (च) पर विचार किया है, जबकि अपीलार्थी के वित्तीय लेनदार होने के दावे को अस्वीकार करना। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 5 (8) (i) पर आधारित प्रस्तुति को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संबोधित नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह न्यायालय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान पेशेवर के निर्णय को सही मानता है। अपीलार्थी निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार नहीं है। इसलिए, विविध आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि इस निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियां केवल संहिता की धारा 5 (7) और 5 (8) के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार के रूप में अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लेने के लिए और इसके द्वारा की गई किसी भी अन्य कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कानून के अनुसार अपने किसी भी अधिकार को स्थापित करने के लिए अपीलार्थी। [पैरा 32] [1062–एफ–एच; 1063–ए]

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535; अग्रणी शहरी भूमि और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. भारत संघ (2019) 8 एससीसी 416 [2019] 10 एस. सी. आर. 381–निर्भर।

अनुज जैन, जेपी के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर इन्फ्राटेक लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य (2020) 8 एस. सी. सी. 401–संदर्भित।

जगजीवनदास जेठालाल और एक अन्य वी. राजा हैमिल्टन और कं. इंडियन लॉ रिपोर्ट्स, खंड एल. वी. 1931,617–संदर्भित

मामला कानून संदर्भ		
(2020) 8 एस. सी. सी. 401	पैरा 8	संदर्भित किया गया है
[2019] 3 एससीआर 535	पैरा 27	उस पर भरोसा करें
[2019] 10 एससीआर 381	पैरा 29	उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 5146/2019

कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 325/2019 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2019 से।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पाई अमित, चार्ल्स डी. सूजा, मानस्वी अग्रवाल, अपूर्व सिंघल, राहत बंसल, सुश्री पंखुड़ी फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड

भारद्वाज, यश बडकुर, रोहित आर. साबू, सुश्री अमी जैन, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, आशुतोष कुमार, सुश्री नमिता चौधरी, सुश्री प्रवीण गौतम, पवन शुक्ला, राजा राम, सुश्री स्वीटी पांडे, वरुण सिंह, गौरव नायर, सुश्री प्रणति भटनागर, नृत्य सिन्हा, दिव्यांशु भंडारी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति, अशोक भूषण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता सहिंता, 2016 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 62 के तहत यह अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। अपीलार्थी द्वारा दायर कंपनी की अपील को खारिज करते हुए दिल्ली दिनांक 09.04.2019। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच के दिनांकित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा कंपनी अपील दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा संहिता की धारा 60 (5) (सी) के तहत दायर विविध आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार, डोशिओन वेओलिया वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट का वित्तीय लेनदार नहीं है।

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय सुविधा को डोशिओन लिमिटेड को उन्नत किया, जो एक निगमित कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत। दोशन लिमिटेड (उधारकर्ता) और एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (ऋणदाता) के बीच 72 संरचित मासिक किश्तों में चुकाने योग्य एक करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा के लिए एक सुविधा समझौता किया गया था। सुविधा समझौते की अनुसूची IV "सुरक्षा निर्माण" से संबंधित है। दोशिओन वेओलिया वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (निगमित देनदार) के निदेशक मंडल ने एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में गैर-निपटान उपक्रम देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत बोर्ड को इस आशय का वचन देने के लिए अधिकृत किया गया था कि गोंडवाना इंजीनियर्स लिमिटेड (जी. ई. एल.) में उनकी हिस्सेदारी का निपटान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एल एंड टी इन्फ्रा द्वारा उधारकर्ता को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता के तहत कोई राशि देय और देय और बकाया थी। 10.01.2012 पर दोशिओन वेओलिया वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक प्रतिज्ञा समझौते को निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा गोंडवाना के 40,160 शेयरों का समझौता किया गया था। इंजीनियर्स लिमिटेड को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था। 10.01.2012 पर [2021] 1 एस. सी. आर. का एक विलेख। एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस

Co.Ltd के पक्ष में दोशिओन वेओलिया वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उपक्रम निष्पादित किया गया था। समझौते से

दिनांक 30.12.2013 एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर ने फीनिक्स एआरसी प्राइवेट के पक्ष में किसी भी प्रतिभूति, ब्याज सहित वित्तीय सुविधा में सभी अधिकार, शीर्षक और हित सौंपे। लिमिटेड, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 5 के तहत अपीलकर्ता। उधारकर्ता, डोशिओन लिमिटेड दिनांकित 12.05.2011 की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा। अपीलार्थी ने एक दिनांकित सूचना 19.02.2014 और वित्तीय सुविधा को वापस ले लिया। अपीलार्थी ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष 2016 का O.A.No.325 दायर किया,

अहमदाबाद जिसे लंबित बताया जाता है।

3. आईडी2 पर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने डोशिओन वेओलिया वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए संहिता की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कंपनी याचिका दायर की

(कॉर्पोरेट देनदार)। दिनांक 31.08.2018 के आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कंपनी याचिका को स्वीकार कर लिया और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रत्यर्थी को निगमित देनदार के अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था जिसे बाद में निगमित देनदार के समाधान पेशेवर के रूप में पुष्टि की गई थी। निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के अनुसार, अपीलार्थी ने एक राशि के लिए अपना दावा दायर किया

उत्तरदाता के साथ Rs.83,49,85,667/-। प्रत्यर्थी ने दिनांकित 20.09.2018 ईमेल के माध्यम से एक राय व्यक्त की कि प्रतिज्ञा समझौते के अनुसार

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत, निगमित देनदार की देनदारी केवल शेयरों की गिरवी रखने तक ही सीमित थी। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दावे के संबंध में और दस्तावेज मांगे। हालाँकि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन प्रत्यर्थी ने 23.11.2018 दिनांकित ईमेल द्वारा पहले के विचार को दोहराया।

4. अपीलार्थी ने कंपनी याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई की पीठ के समक्ष 2018 का M.A.No.1514 दायर किया।

No.CP (आई. बी.) 1752/एम. बी./2017 ने प्रत्यर्थी को निर्देश देने की मांग की है कि वह अपीलार्थी के दावे को वित्तीय ऋण के रूप में स्वीकार करे, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों की समिति में मतदान के अधिकार सहित सभी परिणामी लाभ शामिल हैं। अपीलार्थी ने कहा कि निगमित देनदार द्वारा शेयरों की गिरवी मूल रूप से वित्तीय ऋण की गारंटी थी और इसलिए, अपीलार्थी निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार था। रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने 04.12.2018 दिनांकित ईमेल के माध्यम से PHOENIX ARC PVT के दावे को खारिज कर दिया।

लिमिटेड। वी. केतुलभाई रामूभाई पटेल [अशोक भूषण, जे.]

निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में अपीलार्थी इस आधार पर कि समनुदेशक के पक्ष में कोई अलग गारंटी विलेख नहीं था। प्रत्यर्थी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जवाब में एक हलफनामा दायर किया। पक्षकारों को सुनने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर विविध आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 22.02.2019 पर एक आदेश पारित किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में आवेदक की स्थिति इसके आलोक में साबित नहीं होती है –

संहिता की धारा 5 (8)।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई थी। द.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन शेयरों की गिरवी "धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध किसी भी राशि के संवितरण" के बराबर नहीं है और यह धारा 5 की उप–धारा (8) के उप–खंड (च) के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा सुझाव दिया गया है। अपीलीय प्राधिकरण ने अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, खारिज कर दिया

6. हमने श्री के. वी. विश्वनाथन, अपीलार्थी की विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री अमी जैन, प्रत्यर्थी की विद्वान वकील को सुना है। हमने हस्तक्षेपकर्ता के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के विद्वान वकील को भी सुना है। 7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी धारा 5 के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार है।

संहिता की धारा (8) (i)। वह प्रस्तुत करता है कि निगमित देनदार, जो मुचलका है, की देनदारी देनदार की देनदारी के बराबर है और लेनदार की देनदारी पूरी है।

लेनदार के सामने भी जमानतदार के खिलाफ अपने दायित्व को आगे बढ़ाने का अधिकार। एक ऋण है जो निगमित देनदार द्वारा अपीलार्थी को देय है और उस ऋण को सुरक्षित करने के लिए निगमित देनदार ने समनुदेशक के पक्ष में एक प्रतिभूति ब्याज बनाया है जो कि एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने सभी अधिकार और दायित्वों को अपीलार्थी को सौंपा है, जिसके लिए अपीलार्थी ने एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्थान पर कदम रखा है। मूल कंपनी निगमित देनदार दोशिओन लिमिटेड ने अपीलार्थी के पूर्ववर्ती से ऋण सुविधा ली और निगमित देनदार ने गोंडवाना इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों के रूप में प्रतिभूति ब्याज सृजित करके दायित्व लिया। वर्तमान मामला धारा 5 (8) (बी) द्वारा कवर किया गया है जिसे 5 (आई) के साथ पढ़ा जाता है, अपीलार्थी को वित्तीय लेनदार के रूप में स्वीकार नहीं करने से अपीलार्थी को प्रभावी रूप से बिना उपचार के छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अपीलार्थी अधिस्थगन अवधि के दौरान गारंटी को लागू नहीं कर सकता है और [2021] 1 एस. सी. आर.

एक बार जब समाधान योजना वित्तीय योजना में अपीलार्थी को किसी भी निवारण के बिना पारित हो जाती है, तो उक्त समाधान योजना बाध्यकारी होगी – अपीलार्थी, जिसके बाद अपीलार्थी गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त होगा क्योंकि तब निगमित देनदार से कुछ भी वसूली योग्य नहीं हो सकता था। वास्तव में निगमित देनदार ने एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक गारंटी प्रदान की है जिसके तहत निगमित देनदार एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को डोशन लिमिटेड से देय ऋण की गारंटी देता है और भुगतान न करने की स्थिति में एक शुल्क देता है।

गोंडवाना इंजीनियर्स लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी पर निर्भर। चूंकि निगमित देनदार ने ऋण का भुगतान सुनिश्चित कर लिया है, इसलिए एल. एंड. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निगमित देनदार की देनदारी व्यापक हो गई है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 के तहत दोशीयन लिमिटेड, जो अन्य बातों के साथ–साथ अपीलार्थी को वित्तीय लेनदार था और ऋण ब्याज के लिए अग्रिम दिया गया था और उक्त ऋण निगम द्वारा सुरक्षित किया गया था।

8. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जेपी इंफ्राटेक के अंतरिम समाधान पेशेवर अनुज जैन में इस न्यायालय का निर्णय

लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य, (2020) 8 एससीसी 401,

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाना वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग है। वह प्रस्तुत करता है कि कोई भी प्रतिभूति जो तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार की अनुमति देगी जो उधारकर्ता नहीं है, गारंटी के बराबर होगी। केवल यह तथ्य कि निगमित देनदार ने अपीलार्थी से धन उधार नहीं लिया है, यह निगमित देनदार को गारंटर के रूप में अपने दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि सावधि गारंटी को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए और इसे शेयरों की गिरवी सहित वित्तीय ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा बनाई गई किसी भी प्रतिभूति को शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए। निगमित कर्जदार द्वारा निगमित की मूल कंपनी को दिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए शेयरों की गिरवी

देनदार एक गारंटी के बराबर होता है। वह अंत में प्रस्तुत करता है कि अनुज जैन के फैसले को इस प्रभाव से स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इसे एक विशिष्ट तथ्य परिदृश्य में प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।

9. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री अमी जैन प्रस्तुत करती हैं कि अपीलकर्ता किसी भी प्रकार का लेनदार नहीं है जो भी कॉर्पोरेट देनदार का हो। अपीलार्थी को निगमित देनदार से किसी भी ऋण की वसूली का कोई अधिकार नहीं है और उसे निगमित देनदार द्वारा अपनी सहायक कंपनी गोंडवाना इंजीनियर्स लिमिटेड में रखे गए शेयरों के रूप में अपनी प्रतिभूति के मूल्य को लागू करने

और प्राप्त करने का सीमित अधिकार है, जिसे अपीलार्थी के साथ अपनी मूल कंपनी को दिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है। डोशिओन लिमिटेड ने PHOENIX ARC PVT दिनांकित प्रतिज्ञा समझौते के अनुसार। 10.01.2012 . प्रतिज्ञा, किसी भी तरह से, के तहत एक गारंटी नहीं है

अनुबंध अधिनियम। संहिता की धारा 5 (8) (i) में उल्लिखित किसी भी वस्तु के लिए गारंटी से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को ही अपने दायरे में लेती है।

संहिता की धारा 5 (8) के उपखंड (ए) से (एच), और गारंटी की प्रकृति में कोई अन्य साधन नहीं। शेयरों की गिरवी को गारंटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि दोनों अपने प्रभाव और निहितार्थ के मामले में बिल्कुल अलग हैं। निगमित देनदार ने वादा पूरा करने के लिए अपीलार्थी के साथ गारंटी का कोई अनुबंध नहीं किया है, या अपने चूक के मामले में किसी तीसरे पक्ष के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में, अपीलार्थी को बिना किसी आवश्यकता के गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री द्वारा धन प्राप्त करने का सीमित अधिकार है।

निगमित देनदार वादा पूरा करने के लिए, या देयता का निर्वहन करने के लिए क्योंकि निगमित देनदार द्वारा वसूली योग्य ऋण चुकाने का कोई वादा नहीं किया जाता है।

उधारकर्ता से।

10. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने वित्तीय लेनदार के रूप में अपीलार्थी के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने अपने बकाया की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अहमदाबाद में पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है जो एक स्वीकृत तथ्य है। संहिता में कहीं भी प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी गारंटी के रूप में 10.01.2012 दिनांकित अपने प्रतिज्ञा समझौते का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अभिलेख पर कोई गारंटी विलेख नहीं है। कोड पुनर्प्राप्ति से संबंधित नहीं है।

11. दिवाला और दिवालियापन संहिता के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा/मध्यस्थ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

यह तर्क देता है कि संहिता का उद्देश्य और उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। यह किसी भी राशि की वसूली के लिए एक तंत्र नहीं है। अपीलार्थी पहले ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अहमदाबाद में जा चुका है।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. इस अपील में विचार करने के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार है, जो कि एल एंड टी के साथ दिनांकित 10.01.2012 और दिनांकित 10.01.2012 के गिरवी समझौते के आधार पर है।

बुनियादी ढांचा।

14. हम सबसे पहले उस लेन–देन को देख सकते हैं जिसके आधार पर अपीलार्थी दावा करता है कि उसे वित्तीय लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार के रूप में माना जाता है।

15. सुविधा समझौता दिनांक 12.05.2011 को निष्पादित किया गया था

दोशियन लिमिटेड और एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के बीच लि. निगमित देनदार सुविधा समझौते का पक्षकार नहीं था। यह दोशिओन लिमिटेड था, जो उधारकर्ता था जिसे Rs.40 करोड़ का ऋण चुकाना था। सुविधा समझौते की अनुसूची–IV "सुरक्षा सृजन" है जो सुविधा समझौते का एक हिस्सा है, जो इस प्रकार हैः

" अनुसूची–IV

सुरक्षा सृजन

सुविधा (सभी मूल ब्याज, परिसमापन क्षति, शुल्क लागत, शुल्क, व्यय और अन्य धन और ऋणदाता को निर्धारित और देय अन्य सभी राशियों के साथ) सुरक्षित होगी।

द्वाराः

1 .सभी वर्तमान परिसंपत्तियों पर उधारकर्ता का दूसरा पारि–पासू शुल्क।

2. गोंडवाना की सभी वर्तमान परिसंपत्तियों पर दूसरा परि–पासू शुल्क इंजीनियर्स लिमिटेड (जी. ई. एल.)।

3. सभी वृद्धि के साथ 100% इक्विटी शेयरों की प्रतिज्ञा उस पर जी. ई. एल।

4. डी.एल. के प्रवर्तकों अर्थात् आशित धीरजलाल दोशी, धीरजीलाल शिवलाल दोशी और रक्षित धीरजलाल दोशी के व्यक्तिगत प्रत्याभूति।

5 .ऋण सेवा आरक्षित खाता (डी. एस. आर. ए.) एल. सी./के रूप में 3 महीने के ब्याज और मूलधन भुगतान के लिए बीजी।

6 .वचन पत्र की मांग करें। यदि सुविधा के निर्वाह के दौरान किसी भी समय, ऋणदाता है इस राय का कि उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति है उस समय बकाया सुविधा को कवर करने के लिए अपर्याप्त हो जाने पर, ऋणदाता उधारकर्ता को उस प्रभाव के लिए सलाह देने पर, उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करेगा जो ऐसी कमी को पूरा करने के लिए ऋणदाता को स्वीकार्य हो।

16. अनुसूची IV की मद संख्या 3, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जी. ई. एल. के सभी परिवर्धनों के साथ 100% इक्विटी शेयरों की प्रतिज्ञा है। वहाँ है।

अनुसूची IV के अनुसार जी. ई. एल. की सभी वर्तमान परिसंपत्तियों पर दूसरा समान शुल्क।

17. कॉर्पोरेट देनदार और एल. एंड. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बीच दिनांक 10.01.2012 का प्रतिज्ञा समझौता किया गया था। अनुसूची ।। में प्रतिभूतियों का विवरण है जो जी. ई. एल. के 40,160 शेयर हैं। निगमित देनदार ने ऋणदाता, प्रतिभूतियों के पक्ष में प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा समझौते के खंड स्पष्ट रूप से ऋण की प्रकृति का वर्णन करते हैं।

प्रतिज्ञा समझौते द्वारा बनाई गई सुरक्षा। खंड 2 (iii) को नोटिस करना प्रासंगिक है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" 2 (iii) दायित्वकर्ता एतद्द्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि इस समझौते के संदर्भ में बनाई गई/बनाई जाने वाली प्रतिज्ञा सुरक्षित दायित्वों के भुगतान और इसके तहत अपने दायित्वों के दायित्वकर्ताओं द्वारा उचित प्रदर्शन के लिए एक निरंतर प्रतिभूति होगी।

18. जी. ई. एल. के शेयरों को प्रतिभूति के रूप में एल. एंड. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ गिरवी रखा गया था। उपक्रम विलेख जो उसी दिन दिया गया था, अर्थात, 10.01.2012 का भी यही प्रभाव है।

19. अब, हम वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं। भाग ।।

संहिता का पहला अध्याय दिवाला समाधान परिसमापन से संबंधित है

निगमित व्यक्ति। धारा 5 परिभाषा खंड है। धारा 5 (7) "वित्तीय लेनदार" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती हैः

" धारा 5 (7) "वित्तीय लेनदार" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे वित्तीय ऋण देना है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है।

20. 'वित्तीय ऋण' क्या है, इसे धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है, जिसका प्रभाव निम्नलिखित हैः

" धारा 5 (8) "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धन और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि; (बी) किसी भी स्वीकृति क्रेडिट के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि

सुविधा या इसके भौतिकीकृत समकक्ष;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या इसी तरह की किसी भी राशि के जारी होने के बाद जुटाई गई राशि।

(घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखांकन के तहत वित्त या पूंजी पट्टा माना जाता है।

मानकों को निर्धारित किया जा सकता है;

(ई) बेची गई किसी भी प्राप्य वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्त वस्तुएँ

गैर–सहारा आधार पर;

(च) किसी भी अन्य लेन–देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसका वाणिज्यिक प्रभाव है।

उधार लेना;

(छ) किसी भी दर या मूल्य में उतार–चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेनदेन और किसी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा;

(ज) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति–क्षतिपूर्ति दायित्व;
(i) इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि;

21. क्या निगमित देनदार पर अपीलार्थी का कोई वित्तीय ऋण बकाया है ताकि अपीलार्थी को वित्तीय लेनदार के रूप में माना जा सके, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। धारा 5 (8) में निहित 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा में 'अर्थ' और 'शामिल' शब्द शामिल हैं। परिभाषा "वित्तीय ऋण" शब्दों से शुरू होती है जिसका अर्थ है "ब्याज के साथ एक ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है और इसमें शामिल है"। परिभाषा का मुख्य भाग, इस प्रकार, प्रदान करता है कि वित्तीय ऋण का अर्थ है एक ऋण "जो ऋण के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धारा 5 (8) (बी) के लिए संदर्भित और कॉर्पोरेट देनदार ने ऋण सुविधा के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए अपना हिस्सा गिरवी रखा और जो गारंटी के अर्थ में है। ऋण धारा 5 (8) (i) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय ऋण है और अपीलार्थी वित्तीय लेनदार है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि PHOENIX ARC PVT को श्रेय दिया जाए।

22. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 का अध्याय VIII "क्षतिपूर्ति और गारंटी" से संबंधित है। धारा 124 "क्षतिपूर्ति अनुबंध" को परिभाषित करती है और धारा 126 "गारंटी अनुबंध" को परिभाषित करती है। धारा 126 जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" धारा 126 "। गारंटी का अनुबंध "," मुचलका ", मूलधन

जिसे "जमानत" कहा जाता है; जिस व्यक्ति के चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है उसे "प्रमुख देनदार" कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे "लेनदार" कहा जाता है। एक गारंटी यह
मौखिक या लिखित हो सकता है।

23. परिभाषा से स्पष्ट है कि गारंटी का अनुबंध एक अनुबंध है।

अपने चूक के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करना, या दायित्व का निर्वहन करना। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां निगमित देनदार ने वादे को पूरा करने के लिए अनुबंध किया है, या अपने चूक के मामले में उधारकर्ता के दायित्व का निर्वहन किया है। प्रतिज्ञा समझौता प्रतिभूति के रूप में 40,160 शेयरों को गिरवी रखने तक सीमित है। निगमित देनदार ने कभी भी उधारकर्ता के दायित्व का निर्वहन करने का वादा नहीं किया है। सुविधा समझौता जिसके तहत उधारकर्ता नियमों और शर्तों से बंधा था और जिसमें प्रदर्शन के लिए ऋण प्रतिभूति का भुगतान करने का उसका दायित्व शामिल था, सभी सुविधा समझौते में निहित हैं। गारंटी के अनुबंध में "वादे को पूरा करने या चूक के मामले में तीसरे व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने" की गारंटी होती है। इस प्रकार, धारा 126 में मुख्य शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के "वादे को पूरा करने", या "दायित्व का निर्वहन" के अनुबंध हैं। दोनों अभिव्यक्तियाँ "वचन का पालन करें" या "दायित्व का निर्वहन करें" "किसी तीसरे व्यक्ति" से संबंधित हैं। 10.01.2012 दिनांकित प्रतिज्ञा समझौते में कोई अनुबंध नहीं है कि उधारकर्ता द्वारा Rs.40 करोड़ के ऋण के दायित्व का निर्वहन करने के लिए दिनांकित 12.05.2011 सुविधा समझौते में जो वादा किया गया था, वह कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया गया है। यह वह उधारकर्ता था जिसके पास [2021] 1 एस. सी. आर. था। दिनांकित सुविधा समझौते में 12.05.2011 करोड़ के ऋण को चुकाने का वादा किया गया था और यह उधारकर्ता था जिसने ऋणदाता के प्रति दायित्व का निर्वहन करने का बीड़ा उठाया था। 10.01.2012 दिनांकित प्रतिज्ञा समझौते में कोई अनुबंध नहीं है जिसे कॉर्पोरेट देनदार ने वादे को पूरा करने या तीसरे व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए अनुबंध किया है। प्रतिज्ञा समझौता केवल जी. ई. एल. के 40,160 शेयरों की गिरवी रखने तक सीमित है। हमने ऊपर देखा है कि सुविधा समझौते में अनुसूची IV के माध्यम से एक प्रतिभूति सृजन है जिसमें जी. ई. एल. के 100% इक्विटी शेयरों को उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखा गया था और जी. ई. एल. की सभी वर्तमान परिसंपत्तियों पर दूसरा समान शुल्क भी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बनाया गया था। यह पता चलता है कि चूंकि जी. ई. एल. के कुछ शेयर कॉरपोरेट देनदार के पास भी थे, जो कि डेशियन लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसलिए इसे ऋणदाता के साथ एक बाद के समझौते द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था।

24. समनुदेशक और निगमित देनदार के बीच किए गए प्रतिज्ञा समझौते और उपक्रम को गारंटी का अनुबंध नहीं कहा जा सकता है। धारा 126 के अर्थ के भीतर।

25. भारतीय संपर्क अधिनियम, 1872 में "प्रतिज्ञा" शब्द का अलग से उल्लेख किया गया है। धारा 172 'प्रतिज्ञा' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती हैः

प्रतिज्ञा के निष्पादन को "प्रतिज्ञा" कहा जाता है। जमानतदार इसमें है केस को "पनोर" कहा जाता है। बेली को "पावनी" कहा जाता है। : "

26. धारा 5 (8) (i) में आने वाले 'गारंटी' और 'क्षतिपूर्ति' शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। संहिता की धारा 3 की उप–धारा (37) में यह प्रावधान है कि उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में परिभाषित संहिता के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें सौंपे गए हैं।

27. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एक निर्णय का उल्लेख किया है

भारतीय विधि रिपोर्ट, खंड एल. वी. 1931,617, जगजीवनदास जेठालाल और एक अन्य बनाम किंग हैमिल्टन एंड कंपनी में बॉम्बे उच्च न्यायालय का मामला, जो एक अचल संपत्ति के न्यायसंगत बंधक को लागू करने के लिए दायर मुकदमे से उत्पन्न हुआ था। अभियुक्त मालिक के रूप में विचाराधीन अचल संपत्ति ने उस पर सारदा एंड संस की फर्म के लिए प्रतिभूति के रूप में एक न्यायसंगत बंधक बनाया, जिसने वादी को पैसे दिए थे।

बंबई उच्च न्यायालय के पास धारा 126 पर विचार करने का अवसर था। उपरोक्त मामले में अनुबंध अधिनियम। सेक्शन PHOENIX ARC PVT के आधार पर तर्कों पर ध्यान देना। 126 प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए भारतीय अनुबंध अधिनियम, बॉम्बे

उच्च न्यायालय ने पृष्ठ 684 पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" ..... श्री. इस पर देसाई का जवाब है कि यहाँ प्रतिवादी प्रतिभू नहीं थे। वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 पर निर्भर करता है जो प्रदान करता है कि "गारंटी का अनुबंध" किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने या उसके चूक के मामले में दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध है, और जो व्यक्ति गारंटी देता है वह है –

इसे "जमानत" कहा जाता है। श्री देसाई का कहना है कि यहाँ बचाव पक्ष पर कुछ भी भुगतान करने का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं थाः उन्होंने केवल अपनी संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में सौंप दिया, और ऐसा होने पर, किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने का कोई अनुबंध नहीं था। फिर वह कहता है कि धारा 135 में, जो यह प्रावधान करता है कि लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच एक अनुबंध जिसके द्वारा लेनदार एक रचना करता है, या समय देने का वादा करता है।

जब तक प्रतिभूति इस तरह के अनुबंध के लिए सहमति नहीं देती है, तब तक प्रधान देनदार पर मुकदमा करना या न करना प्रतिभूति को खारिज कर देता है, शब्द "प्रतिभूति" का वही अर्थ होना चाहिए जो धारा 126 में है, और इसलिए एक व्यक्ति जो केवल प्रतिभूति के रूप में दस्तावेजों को जमा करता है वह धारा 135 के भीतर प्रतिभूति नहीं है। अनुभागों के शब्दों पर उस तर्क में संभवतः कुछ हो सकता है, लेकिन अक्सर यह माना गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम संपूर्ण नहीं है, और इसलिए, किसी को यह करना पड़ता है

अधिनियम के अलावा विचार करें कि सामान्य क्या है।

28. हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 126 के सादे पढ़ने पर, श्री देसाई के प्रस्तुत करने में कुछ सार हो सकता है लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सामान्य कानून की जांच करने के लिए आगे बढ़े। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर था और अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के संदर्भ में धारा 5 (8) (i) की व्याख्या पर इसका कोई असर नहीं है।

29. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भारी रखा है जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर निर्भरता। उन मुद्दों में से एक

इस न्यायालय के समक्ष आया कि क्या प्रत्यर्थी (जे. ए. एल. के ऋणदाता) निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार हो सकते हैं, जो निगमित देनदार द्वारा अपनी धारक कंपनी जे. आई. एल. की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में बनाए गए बंधक के बल पर हो सकते हैं। उपरोक्त मामले में, एक्सिस बैंक ने होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) को वित्त ऋण दिया था।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जे. आई. एल.) ने संपार्श्विक [2021] 1 एस. सी. आर. के रूप में कई संपत्तियों को गिरवी रखा था।

एक्सिस बैंक द्वारा जे. ए. एल. को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियाँ। अंतरिम समाधान पेशेवर ने एसिक्स बैंक के कॉर्पोरेट देनदार (जे. आई. एल.) के वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के दावे को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने एक्सिस बैंक के वित्तीय लेनदार के रूप में दावे को खारिज करने वाले अंतरिम समाधान पेशेवर के फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसके खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसे अनुमति दी गई थी। निगमित देनदार ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की थी जिसमें एक मुद्दा यह था कि क्या एक्सिस बैंक को निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में जे. आई. एल. द्वारा गिरवी रखे जाने के बल पर मान्यता दी जा सकती है, जो इसकी धारक कंपनी जे. ए. एल. का निगमित देनदार है। इस न्यायालय ने तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, उपरोक्त मुद्दे पर पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को विस्तार से नोट किया। इस न्यायालय के पहले के दो निर्णय, अर्थात् स्विस रिबन (पी) लिमिटेड। भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17 और पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. संघ

भारत में, (2019) 8 एस. सी. सी. 416 को व्यापक रूप से नोट किया गया था। पैराग्राफ 46 से 50.2 में "वित्तीय ऋण" और "वित्तीय लेनदार" की अनिवार्यताओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैंः

" 46. उपरोक्त मौलिक सिद्धांतों को लागू करना

संहिता की धारा 5 (8) में होने वाली परिभाषा में, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संहिता के भाग 2 के उद्देश्य के लिए किसी ऋण के 'वित्तीय ऋण' बनने के लिए, बुनियादी तत्व यह हैं कि –

धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध एक संवितरण होना चाहिए। इसमें धारा 5 (8) के उपखंड (ए) से (एफ) में निर्धारित तरीकों से धन जुटाने या दायित्व वहन करने के लिए कोई भी तरीका शामिल हो सकता है; इसमें धारा 5 (8) के उपखंड (जी) और (एच) के अनुसार कोई व्युत्पन्न लेनदेन या प्रति–क्षतिपूर्ति दायित्व भी शामिल हो सकता है; और यह किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि भी हो सकती है। उपखंड (ए) से (एच) में संदर्भित। ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता, जो इसके लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है

हमारे विचार में, धारा 5 (8) के उपखंड (ए) से (आई) में बताए गए किसी भी लेन–देन/लेन–देन के संबंध में भी धन का समय मूल्य एक आवश्यक हिस्सा बना हुआ है, भले ही यह आवश्यक रूप से उसमें नहीं कहा गया हो। किसी भी मामले में, परिभाषा को, अपने ढांचे के अनुसार, इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है

विस्तृत, बल्कि असीम रूप से चौड़ा, जिसकी मूल आवश्यकताएँ हैं ' धन के समय मूल्य के लिए 'प्रतिफल' के विरुद्ध 'संवितरण' को इस तरह से त्याग दिया जा सकता है कि कोई भी लेन–देन अकेले वित्तीय ऋण बन जाए। दूसरे शब्दों में, धारा ई. एन. आई. एक्स. ए. आर. सी. पी. वी. टी. के उक्त उपखंड (ए) से (आई) में वर्णित कोई भी लेनदेन।

5 (8) वित्तीय ऋण के दायरे में केवल तभी आएगा जब इसमें मूल खंड में बताए गए आवश्यक तत्व हों या

कम से कम ऐसी विशेषताएँ हैं जिनका मूल खंड में ऐसे आवश्यक तत्वों से पता लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, संवितरण का आवश्यक तत्व, और वह भी धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध, संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय ऋण' के रूप में माने जाने से पहले किसी भी ऋण की उत्पत्ति में पाया जाना चाहिए। यह ऋण किसी भी प्रकृति का हो सकता है लेकिन इसके कुछ हिस्से को हमेशा धन के समय मूल्य के लिए वहन, या उसके अनुरूप, या कम से कम संवितरण के कुछ निशान होने की आवश्यकता होती है।

47. जैसा कि देखा गया है, संहिता के भाग ।। के उद्देश्य के लिए एक लेनदार के लिए वित्तीय लेनदार बनने की मूल आवश्यकता,

एक वित्तीय ऋण होना चाहिए जो उस व्यक्ति पर बकाया है। वह प्रमुख लेनदार हो सकता है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है या वह इस परिभाषा के विस्तारित अर्थ के संदर्भ में एक समनुदेशक हो सकता है।

लेकिन, और फिर भी, बकाया ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता को नहीं छोड़ा गया है। 48. यह भी स्पष्ट है कि धारा 5 (7) और धारा 5 (8) में जिस पर विचार किया जा रहा है और जिसका वर्णन किया गया है, वह निगमित देनदार के साथ लेन–देन है। इसलिए, किसी व्यक्ति को एक के रूप में नामित करने के लिए

निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार को यह दिखाना होगा कि निगमित देनदार पर ऐसे व्यक्ति का वित्तीय ऋण बकाया है।

इस तरह से समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई तीसरा पक्ष जिस पर कॉर्पोरेट ऋणी का वित्तीय ऋण नहीं है, वह नहीं बन सकता है।

संहिता के भाग 2 के प्रयोजन के लिए इसका वित्तीय लेनदार।

49. हमारे विचार में, धारा 5 (7) और 5 (8) में आने वाली इन अभिव्यक्तियों "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" के विशिष्ट तत्वों को और अधिक स्पष्ट करते हुए, जब संहिता की धारा 3 (10) और 3 (11) में आने वाली सामान्य अभिव्यक्तियों क्रमशः "लेनदार" और "ऋण" की कल्पना और तुलना की जाती है, तो संहिता द्वारा परिकल्पित चीजों की योजना अधिक स्पष्ट हो जाती है। जेनेरिक

"लेनदार" शब्द को किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित किया गया है जिसे ऋण देना है और फिर, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें एक 'वित्तीय लेनदार', एक 'सुरक्षित लेनदार', एक 'असुरक्षित लेनदार', एक 'परिचालन लेनदार' और एक 'डिक्री–धारक' शामिल है। इसी तरह, "ऋण" का अर्थ है किसी दावे के संबंध में देयता या दायित्व जो देय है।

किसी भी व्यक्ति से और इस अभिव्यक्ति को [2021] 1 एस. सी. आर. भी दिया गया है।

'वित्तीय ऋण' और 'परिचालन ऋण' को शामिल करने के लिए विस्तारित अर्थ।

49.1 . इन खंडों में "मतलब और शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग, जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्याख्या के उन्हीं सिद्धांतों पर, यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को लेनदार बनने के लिए, एक ऋण होना चाहिए, यानी किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय हो सकता है। धारा 3 (30) के संदर्भ में "सुरक्षित लेनदार" का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया जाता है और धारा के संदर्भ में "प्रतिभूति हित"।

3 (31) , इसका अर्थ है किसी लेन–देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाई गई या उसके लिए प्रदान की गई संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या दावा। जो किसी दायित्व के उद्देश्य के लिए भुगतान सुनिश्चित करता है और यह

इसमें, अन्य बातों के अलावा, एक बंधक भी शामिल है। इस प्रकार, लेनदार के पक्ष में बनाए गए किसी भी बंधक से प्रतिभूति ब्याज बनता है और इस तरह, लेनदार एक सुरक्षित लेनदार बन जाता है। हालाँकि, जब सभी परिभाषित खंडों को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि विधायिका ने 'वित्तीय लेनदार', 'परिचालन लेनदार', 'सुरक्षित लेनदार' और 'असुरक्षित लेनदार' अभिव्यक्तियों के बीच अंतर बनाए रखा है। प्रत्येक सुरक्षित लेनदार एक लेनदार होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार भी एक लेनदार होगा लेकिन प्रत्येक सुरक्षित लेनदार वित्तीय लेनदार नहीं हो सकता है। के रूप में

"वित्तीय ऋण" और "वित्तीय लेनदार" अभिव्यक्तियों को देखा गया, जिसमें उनके विशिष्ट और विशिष्ट अर्थ और भूमिकाएँ हैं।

निगमित व्यक्तियों की दिवाला और परिसमापन प्रक्रिया को केवल भाग II में परिभाषित किया गया है, जबकि "सुरक्षित लेनदार" और "प्रतिभूति हित" अभिव्यक्तियों को भाग I में परिभाषित किया गया है। 50. स्विस रिबन (ऊपर) में इस न्यायालय के उच्चारण के साथ सांविधिक प्रावधानों का एक संयुक्त अध्ययन, इस बात में संदेह करने की कोई बात नहीं छोड़ता है कि आई. बी. सी. की योजना में, 'वित्तीय लेनदार' अभिव्यक्ति का उद्देश्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रत्यक्ष ऋण है।

निगमित देनदार के कामकाज में भागीदारी; जो निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करते हुए शुरू से ही शामिल है; जो वित्तीय तनाव होने पर ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ निगमित देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में भी शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, वित्तीय लेनदार, कॉर्पोरेट देनदार के कार्यात्मक अस्तित्व में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी से, अद्वितीय स्थिति प्राप्त करता है, जिसे कॉर्पोरेट देनदार, ENIX ARC PVT के निर्वाह और विकास को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जा सकता है।

एक संरक्षक के समान। दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में, हितधारकों के इस वर्ग, अर्थात् वित्तीय लेनदारों को विधायिका द्वारा ऐसी भूमिका सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि निगमित देनदार फिर से जीवित हो और अपने ऋणों को चुकाने और अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने की उचित क्षमता के साथ अपने पहियों पर वापस आ जाए। अन्य लेनदारों सहित अन्य सभी हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण, स्पष्ट रूप से निगमित देनदार के इस तरह के पुनरुत्थान के साथ होगा।

50.1 . संहिता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति हित रखने वाले व्यक्ति की स्थिति और भूमिका की तुलना आसानी से एक वित्तीय लेनदार की भूमिका से की जा सकती है क्योंकि निगमित देनदार को केवल अपनी प्रतिभूति के मूल्य को प्राप्त करने में रुचि होगी (इसमें कोई अन्य हिस्सेदारी शामिल नहीं होगी और कम से कम निगमित देनदार के विकास या न्यायसंगत परिसमापन में कोई हिस्सेदारी होगी) जबकि निगमित कर्जदार को अपने हितों की सुरक्षा को देखने के अलावा, निगमित ऋणदाता के कायाकल्प, पुनरुद्धार और विकास में भी रुचि होगी।

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा विस्तारित, फिर भी बाहर खड़ा होगा संहिता की धारा 5 की उप-धारा (7) और (8) में निहित परिभाषाओं के अनुसार 'वित्तीय लेनदारों' का संप्रदाय। अलग से कहें, अगर किसी कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा है

किसी तीसरे पक्ष के ऋण, इससे बंधक ऋण हो सकता है और इसलिए, यह संहिता की धारा 3 (10) के तहत 'ऋण' की परिभाषा के भीतर आ सकता है। हालांकि, यह अकेले एक ऋण बना रहेगा और इसके भीतर एक 'वित्तीय ऋण' की प्रकृति को शामिल नहीं कर सकता है।

संहिता की धारा 5 (8) का अर्थ। "[2021] 1 एस. सी. आर.

30. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति जिसका केवल सुरक्षा हित हो निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर, भले ही निगमित देनदार द्वारा दी गई संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर 'सुरक्षित लेनदार' के विवरण के भीतर आता हो, धारा 5 की उप–धारा (7) और (8) में निहित परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय लेनदारों द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है, वह वर्तमान मामले में पूरी तरह से आकर्षित है जहां निगमित देनदार ने केवल जी. ई. एल. के 40,160 शेयरों को गिरवी रखकर प्रतिभूति दी है। अपीलार्थी प्रतिभूति से ऊपर सुरक्षित ऋणी होगा लेकिन धारा 5 की उप–धारा (7) और (8) के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार नहीं होगा।

31. श्री विश्वनाथन ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले को यह तर्क देते हुए अलग करने की कोशिश की कि उपरोक्त निर्णय विशिष्ट तथ्य परिदृश्य में दिया गया है जो वर्तमान मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड मामले (उपरोक्त) में निगमित देनदार ने

मूल कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण के लिए सृजित बंधक और ऐसे ऋण का कोई लाभ कॉर्पोरेट देनदार को प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान मामले में कॉर्पोरेट देनदार प्रत्यक्ष और वास्तविक रहा है। समनुदेशक द्वारा निगमित देनदार की मूल कंपनी को दिए गए ऋण का लाभार्थी। जैसा कि विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, उपरोक्त बिंदु हमारी सराहना नहीं करता है। वर्तमान में यह भी एक ऐसा मामला है जहां जीईएल के 40,160 शेयरों में केवल कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रतिभूति बनाई गई थी, उधारकर्ता द्वारा कॉर्पोरेट पर लिए गए ऋण को चुकाने की कोई देनदारी नहीं थी

वर्तमान मामले में देनदार। सर्वोत्तम रूप से 10.01.2012 पर निष्पादित प्रतिज्ञा समझौता और उपक्रम का समझौता, जो कि सुविधा समझौते के बाद होता है, ऋणदाता–समनुदेशक के पक्ष में प्रतिभूति है जो सर्वोत्तम रूप से निगमित देनदार के रूप में सुरक्षित लेनदार होगा न कि निगमित देनदार के रूप में वित्तीय लेनदार। 32. हम देख सकते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के वित्तीय लेनदार होने के दावे को खारिज करते हुए धारा 5 (8) (च) पर विचार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 5 (8) (i) पर आधारित निवेदन को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संबोधित नहीं किया गया था, जिसे अब हमारे समक्ष रखा गया है। हम, इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान पेशेवर के निर्णय को सही मानते हैं। अपीलार्थी निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार नहीं है। इसलिए, विविध आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियां केवल वित्तीय लेनदार PHOENIX ARC PVT के रूप में अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लेने के लिए हैं।

संहिता की धारा 5 (7) और 5 (8) के अर्थ के भीतर और अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी भी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कानून के अनुसार अपने किसी भी अधिकार को स्थापित करें। इस प्रकार हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। याचिका खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

अपील निरस्त की जाती है